P

8626/2022

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

सत्यमेव जयते

Name- Deepak Upadhyay Acc Code-UP14555804 Tehsil And District Lucknow
License No. 364/21
Mob:7379997700
Signature

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP41896997696306U
Certificate Issued Date	:	14-Mar-2022 11:40 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14555804/ LUCKNOW SADAR/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1455580471649691942217U
Purchased by	:	NUMEROUS CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	PART OF LAND KHASRA NO-293SA,AT VILLAGE-JAITIKHEDA,PARGANA BIJNAUR TEHSIL- SAROJANI NAGAR-LUCKNOW
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	RAM PAL
Second Party	:	NUMEROUS CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
Stamp Duty Paid By	:	NUMEROUS CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	3,26,600 (Three Lakh Twenty Six Thousand Six Hundred only)

Please write or type below this line

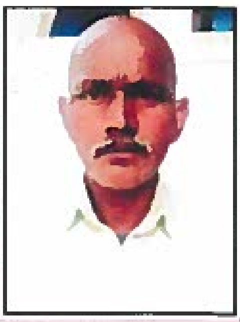

NUMEROUS CONSTRUCTIONS PVT. LTD.

Authorised Signatory

रामपाल

QT 0007998824

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

4. उक्त विक्रय अनुमति निर्गत तिथि से दो माह तक अनुमन्य होगी।

इस आदेश की प्रति श्री रामपाल पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम जैतीखेड़ा,परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ, उ0प्र0/तहसीलदार, सरोजनीनगर, लखनऊ/उपनिबंधक, तहसील सरोजनीनगर, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

(के0पी0 सिंह)

अपर जिलाधिकारी (नगर पूर्वी)/

अपर कलेक्टर, लखनऊ।

08.02.2022

आज दिनांक 08.02.2022 को खुले न्यायालय में उक्त आदेश हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

अपर जिलाधिकारी (नगर पूर्वी)/

अपर कलेक्टर, लखनऊ।

08.02.2022

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : जैती खेडा   परगना : (बिजनौर)   तहसील : सरोजनी नगर   जनपद : लखनऊ   फसली वर्ष : 1428-1433   भाग : 1   खाता संख्या : 00445

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।				
रामपाल / जगन्नाथ / नि.ग्राम बाबूलाल / जगन्नाथ / नि.ग्राम राजेश कुमार / सूरजपाल / नि. ग्राम बंशी लाल / सूरजपाल / नि. ग्राम प्रवीन कुमार / सूरजपाल / नि. ग्राम दीपक / सूरजपाल / नि. ग्राम इन्दलजीत / सूरजपाल / नि. ग्राम शिव देवी / सूरजपाल / नि. ग्राम	293स	0.5060	आदेश तहसीलदार (न्यायिक) सरोजनीनगर लखनऊ वाद सं. टी-202110460503276 ता.फै. 16/07/21 खाता सं. 445 की गाटा सं. 293स रकबा 0.5060हे. के बकदर भाग में से रकबा 0.031हे. मा.गु. 60ख से विक्रेता बाबू लाल पुत्र श्री जगन्नाथ निवासी ग्राम जैतीखेडा, सरोजनीनगर जिला लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता श्री नेपचुन इन्फ्राकॉन प्रा.लि. के द्वारा सुशील दत्त मिश्रा पुत्र श्री केदार नाथ मिश्रा निवासी दूसरा तल एल्डिको कॉर्पोरेट चैम्बर 1 विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ का नाम बतौर सं.भू. द्वारा बैनामा दिनांक 30/01/21 के आधार पर अंकित हो।	
योग	1	0.5060		

कृपया [illegible]

Disclaimer: [illegible]

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि — रू0 46,64,850/—

बाजारू मूल्य — रू0 6,74,400/—

स्टाम्प शुल्क — रू0 3,26,600/—

1. भूमि का प्रकार — कृषि
2. परगना — बिजनौर
3. ग्राम — जैतीखेड़ा
4. सम्पत्ति का विवरण — भूमि खसरा संख्या 293स रकबा 0.506 हेक्टेअर का 1/3 भाग रकबा 0.1686 हे0 स्थित ग्राम जैतीखेडा, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ।
5. मापन की इकाई — हेक्टेअर में
6. सम्पत्ति का विक्रीत क्षेत्रफल — 0.1686 हेक्टेअर
7. सड़क की स्थिति — किसी भी रोड सेगमेंट पर स्थित नही है।
8. अन्य विवरण — कुछ नहीं है।
9. सम्पत्ति का प्रकार — कृषि
10. पेडों, कुआं, बोरिंग आदि — नहीं

NUMEROUS CONSTRUCTIONS PVT. LTD.

Authorized Signatory

प्रथम पक्ष की संख्या–1		द्वितीय पक्ष की संख्या–1
विक्रेता **का विवरण**		क्रेता **का विवरण**
श्री राम पाल पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम जैतीखेडा, परगना बिजनौर तहसील–सरोजनी नगर, जिला लखनऊ ।		**न्यूमरस कन्सट्रक्शन्स** प्राईवेट **लिमिटेड Numerous Constructions Private Limited (PAN-AADCN8878R, CIN No.U70102UP2012PTC048707) रजिस्टर्ड पता–द्वितीय तल, एल्डिको कॉर्पोरेट चैम्बर–1, विभूती खंड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी आशीष सिंह पुत्र श्री हरिबंश नारायन सिंह द्वारा अधिकृत द्वारा बोर्ड रिजल्यूशन दिनांकित– 04.10.2021**

यह विक्रय विलेख रामपाल पुत्र जगन्नाथ **निवासी ग्राम जैतीखेडा, परगना बिजनौर तहसील–सरोजनी नगर, लखनऊ** जिन्हें आगे **विक्रेता** कहा गया है (जिसके अन्तर्गत विक्रेता के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण सम्मिलित है)।

<u>एवम्</u>

न्यूमरस कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड (Numerous Constructions Private Limited (PAN-AADCN8878R, CIN No. U70102UP2012PTC048707) रजिस्टर्ड पता–द्वितीय तल, एल्डिको कॉर्पोरेट चैम्बर–1, विभूती खंड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री आशीष सिंह पुत्र श्री हरिबंश नारायन सिंह द्वारा अधिकृत द्वारा बोर्ड रिजल्यूशन दिनांकित–04.10.2021, जिन्हें आगे **केता** कहा गया है

NUMEROUS CONSTRUCTIONS PVT. LTD.

रामपाल

Authorized Signatory

(जिसके अन्तर्गत केता के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण सम्मिलित है) के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 293स रकबा 0.506 हेक्टेअर का 1/3 भाग रकबा 0.1686 हे0 मे स्थित ग्राम जैतीखेडा, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है एवं विक्रेता का नाम राजस्व अभिलेखो मे बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है।

यह कि विक्रेता को उक्त भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है तथा उक्त भूमि सीलिंग, ग्राम समाज, भूदान व पट्टे की भूमि नहीं है।

यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य **रू0 46,64,850/-(रू0 छियालिस लाख चौसठ हजार आठ सौ पचास मात्र)** के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त केता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त केता **को भूमि खसरा**

NUMEROUS CONSTRUCTIONS PVT. LTD.

Authorized Signatory

संख्या 293स रकबा 0.506 हेक्टेअर का 1/3 भाग रकबा 0.1686 हे0 स्थित ग्राम जैतीखेडा, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ, को विकेता अपना संपूर्ण हिस्सा इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है। जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा केता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए केता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब केता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण केता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो केता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरियें अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि केता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि भूमि में कोई पेड़, इमारत आदि नहीं है, व किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है।

NUMEROUS CONSTRUCTIONS PVT. LTD.

Authorized Signatory

चूंकि विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य है इसलिए उपरोक्त भूमि के सम्बंध में न्यायालय श्रीमान अपर जिलाधिकारी, नगर ,(पूर्वी) लखनऊ के द्वारा वाद सं0 127/2022 कम्प्यूटरीकृत वाद सं0 D202210460000127 दिनांकित 08.02.2022 के द्वारा विक्रय अनुमति उपरोक्त क्रेता के पक्ष में प्रदान की जा चुकी है।

उक्त आराजी विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है, जो जुमला हर किस्म के इन्तकालात मिस्ल रेहन व बय व इकरारनामा व हिबा व जमानत व मुकदमा व कर्जा/ऋण आदि से बिल्कुल बरी व पाक साफ है।

यह कि उक्त आराजी लखनऊ विकास प्राधिकरण व आवास एवं विकास परिषद् या अन्य किसी सरकारी व गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं किया गया है। उक्त आराजी को विक्रय करने के विक्रेता को समस्त कानूनी हक व अधिकार हासिल हैं।

यह विक्रय विलेख पक्षकारों द्वारा दिये कागजातों एवं उनके द्वारा बताये तथ्यों के आधार पर लिखा गया है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी उभय पक्षों पर होगी। पक्षकारो द्वारा स्व प्रमाणित की गयी है तथा उनकी पहचान सम्मानित गवाहो द्वारा की गयी है।

यह कि आराजी बयशुदा उपरोक्त राष्ट्रीयमार्ग, राज्य मार्ग, जनपदीय मार्ग आदि पर स्थित नहीं है, यह कि उपरोक्त सम्पत्ति नगर निगम की सीमा से बाहर स्थित है। एवं 200 मीटर त्रिज्या में आबादी नही है तथा ग्राम जैतीखेड़ा ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है चूंकि विक्रीत सम्पत्ति के आस पास आवासीय गतिविधियां विद्यमान है, जिसका निर्धारित सरकिल रेट रू0 **40,00,000/–**प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत **0.1686 हेक्टेअर** की मालियत **रू0 6,74,400/–** होती है, जो कि विक्रय मूल्य से कम है, अतः नियमानुसार विकय मूल्य पर ही **7** प्रतिशत की दर से **रू0 3,26,600/–** का ई– स्टाम्प विक्रय मूल्य पर केता द्वारा अदा किया गया है।

NUMEROUS CONSTRUCTIONS PVT. LTD.

Authorized Signatory

रामपाल

यह कि उक्त विकय विलेख विकेता एवं केता द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर मसविदाकर्ता तैयार किया गया है। लिहाजा यह विकय अनुबन्ध पत्र प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समक्ष गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पड़ने पर बतौर साक्ष्य काम आवे।

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा संख्या 293स रकबा 0.506 हेक्टेअर का 1/3 भाग रकबा 0.1686 हे0 स्थित ग्राम जैतीखेडा, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्नवत् हैः– **अविभाजित चौहद्दी खसरा नं0 293स**

उत्तर	:	खेत बाबू लाल आदि
दक्षिण	:	खेत शिव कुमार
पूरब	:	खसरा नं0 293 का शेष भाग
पश्चिम	:	खसरा नं0 293 का शेष भाग

परिशिष्टः भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू0 1,00,000/– बजरिये चेक नं0–080163 दिनांक 15.11.2021 द्वारा आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक इन्दिरा नगर नगर लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किया।
2. विक्रेता को रू0 2,00,000/– बजरिये चेक नं0–080189 दिनांक 13.01.2022 द्वारा आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक इन्दिरा नगर नगर लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किया।
3. विक्रेता को रू0 43,64,850/– बजरिये आर0टी0जी0एस0 नं0ICICR52022031400536569 दिनांक 14.03.2022 द्वारा आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक इन्दिरा नगर नगर लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किया।

NUMEROUS CONSTRUCTIONS PVT. LTD

Authorized Signatory

आवेदन सं०: 202201041010558

विक्रय पत्र

बही सं०: 1	रजिस्ट्रेशन सं०: 8626	वर्ष: 2022

प्रतिफल- 4664850 स्टाम्प शुल्क- 326600 बाजारी मूल्य - 674400 पंजीकरण शुल्क - 46650 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 46710

श्री न्यूमरस कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा
आशीष सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री हरिवंश नारायन सिंह
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: एल्डिको कॉर्पोरेट चेम्बर-1,विभूति खंड गोमती नगर,लखनऊ

आशीष सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

श्री, न्यूमरस कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 14/03/2022 एवं 04:24:11 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

निर्मल सिंह
उप निबंधक :सरोजनीनगर
लखनऊ
14/03/2022

ओम प्रताप सिंह
निबंधक लिपिक

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य **रू0 46,64,850/–(रू0 छियालिस लाख चौसठ हजार आठ सौ पचास मात्र)** विक्रेता ने क्रेता से उपरोक्तानुसार प्राप्त कर लिया है तथा अब कुछ भी पाना शेष नही है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख कतई विक्रेता ने अपनी राजी खुशी से खूब सोच व समझकर बिना दबाव नाजायज किसी के बदुरूस्ती होश हवास में क्रेता के हक में रूबरू गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

लखनऊ

दिनांक : 14.03.2022

विक्रेता

गवाहान:

1.

सिद्धार्थ सिन्हा पुत्र सूर्य कुमार सिन्हा

निवासी– 644,लाल निवास

लखनऊ रोड ग्रामीण हरदोई।

NUMEROUS CONSTRUCTIONS PVT. LTD.

क्रेता

Authorized Signatory

2.

रणवीर सिंह यादव पुत्र बाबू लाल

निवासी– 39, नूर नगर भदरसा

चन्द्रावल लखनऊ।

टाईपकर्ता:

(संदीप)

मसविदाकर्ता

(बेंकट रमन सिंह)

एडवोकेट

आवेदन सं०: 202201041010558

बही सं०: 1 रजिस्ट्रेशन सं०: 8626 वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री राम पाल, पुत्र श्री जगन्नाथ

निवासी: ग्राम-जैतिखेड़ा,परगना-बिजनौर,तहसील-सरोजनीनगर जिला-लखनऊ

व्यवसाय: कृषि

क्रेता: 1

श्री न्यूमरस कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आशीष सिंह , पुत्र श्री हरिवंश नारायन सिंह

निवासी: एल्डिको कॉर्पोरेट चेम्बर-1,विभूति खंड गोमती नगर,लखनऊ

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री सिद्धार्थ सिन्हा , पुत्र श्री सूर्य कुमार सिन्हा

निवासी: 644,लाल निवास,लखनऊ रोड,ग्रामीण हरदोई

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2

श्री रणवीर सिंह , पुत्र श्री बाबू लाल

निवासी: 39,नूर नगर,भदरसा,चन्द्रावल,लखनऊ

व्यवसाय: वकालत

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

निर्मल सिंह

उप निबंधक : सरोजनीनगर

लखनऊ

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

ओम प्रताप सिंह

निबंधक लिपिक

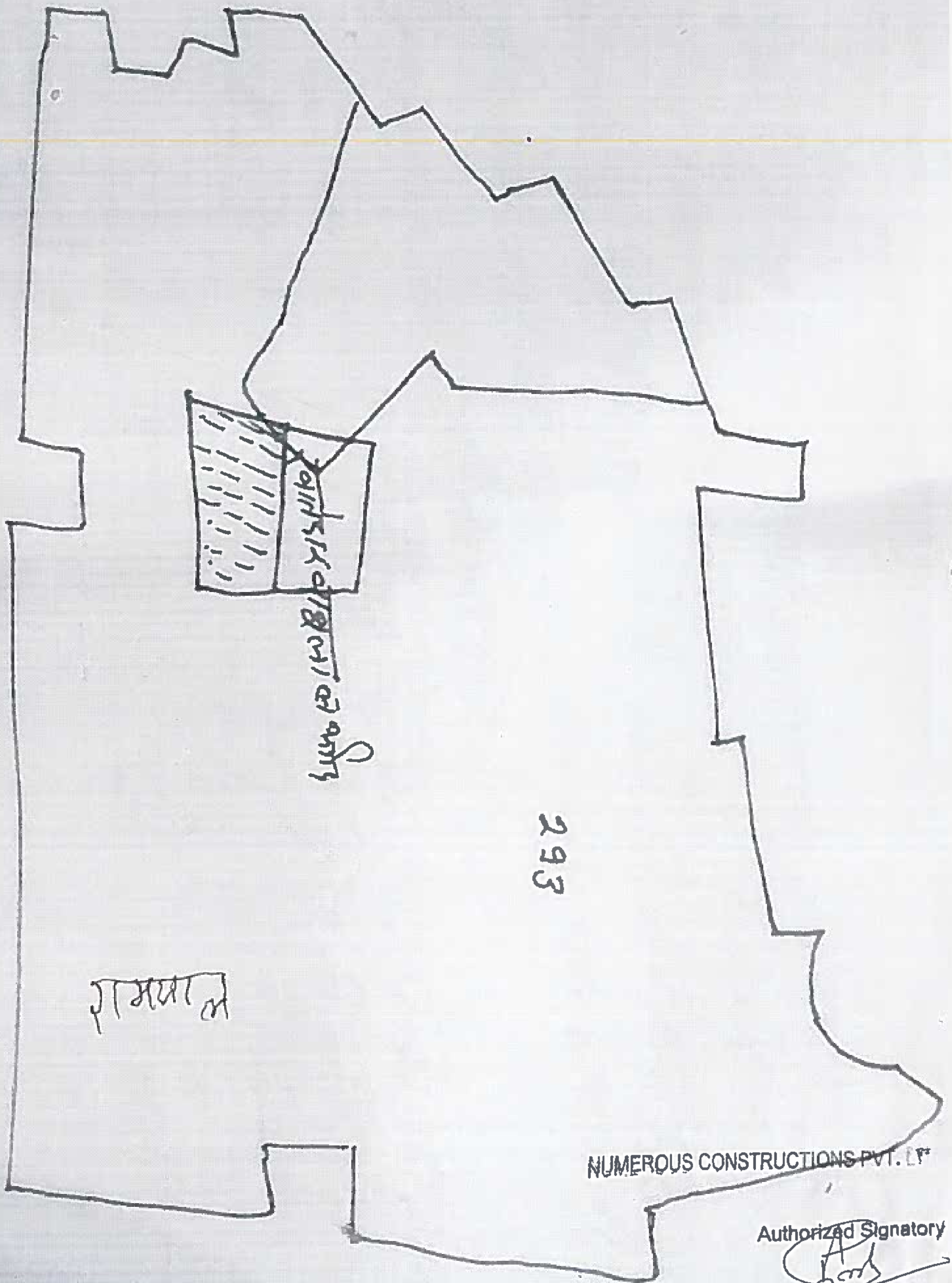

NUMEROUS CONSTRUCTIONS PVT. LT

Authorized Signatory

आवेदन सं०: 202201041010558

बही सख्या 1 जिल्द सख्या 8176 के पृष्ठ 87 से 106 तक क्रमांक 8626 पर दिनाँक 14/03/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

निर्मल सिंह
उप निबंधक : सरोजनीनगर
लखनऊ
14/03/2022

भारत सरकार
Government of India

राम पाल
Ram Pal
जन्म तिथि / DOB : 01/01/1968
पुरुष / Male

2222 8219 6587

आधार - आम आदमी का अधिकार

रामपाल

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
संबोधित: जगन नाथ, सोहावा, जैतीखेड़ा, लखनऊ, जैतीखेड़ा, उत्तर प्रदेश, 227305

Address:
S/O: Jagan Nath, sohawa, Jaitikhera, Lucknow, Jaitikhera, Uttar Pradesh, 227305

2222 8219 6587

1947
1800 300 1947
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

NUMEROUS CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED

03/02/2012

Permanent Account Number

AADCN8878R

25022012

NUMEROUS CONSTRUCTIONS PVT. LTD.

Authorized Signatory

आशिष सिंह
Ashish Singh
जन्म तिथि/ DOB: 17/06/1985
पुरुष / MALE

7970 5770 4208

आधार-आम आदमी का अधिकार

भारतीय ... प्राधिकरण

पता:
आत्मज: हरिवंश नारायण सिंह, 116, नारायणपुर
सुल्तानपुर, सूरापुर,
सुल्तानपुर,
उत्तर प्रदेश - 228001

Address:
S/O Harivansh Singh, 116,
... Surapur,

7970 5770 4208

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

भारत सरकार
Government of India

सिद्धार्थ सिन्हा
Siddharth Sinha
जन्म तिथि/DOB: 23/08/1980
पुरुष/ MALE

9368 3733 0976
VID : 9119 2296 7245 7340

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
आत्मज: सूर्य कुमार सिन्हा, 644 लाल निवास लखनऊ रोड हरदोई, हरदोई, हरदोई ग्रामिण, हरदोई,
उत्तर प्रदेश - 241001

Address:
S/O: Surya Kumar Sinha, 644 lal nivas lucknow road hardoi, hardoi, Hardoi(Gramin), Hardoi,
Uttar Pradesh - 241001

QR Code with Photograph

9368 3733 0976
VID : 9119 2296 7245 7340

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

रणवीर सिंह यादव
Ranveer Singh Yadav
जन्म तिथि/ DOB: 25/07/1974
पुरुष / MALE

5771 1717 1576

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

आधार

पता:
S/O बाबू लाल, 39, नूर नगर
भदरसा, चंद्रावल, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश - 226002

Address:
S/O Babu Lal, 39, Noor Nagar
Bhadersha, Chandraval,
Lucknow,
Uttar Pradesh - 226002

5771 1717 1576

मण्डल:- लखनऊ,जनपद:- लखनऊ
न्यायालय अपर जिलाधिकारी, नगर (पूर्वी)
वाद संख्या:- 127/2022

रामपाल बनाम सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202210460000127
अंतर्गत धारा:- 98(1),उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
आदेश तिथि:- 08/02/2022

अंतिम आदेश

श्री रामपाल पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम जैतीखेड़ा,परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ, उ0प्र0 अपनी बीमारी का इलाज कराने हेतु अपनी प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को विक्रय करने का अनुमति प्रार्थना पत्र उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-98 के अन्तर्गत आर0सी0 प्रपत्र-27 पर प्रस्तुत किया गया, जिसकी जाँच उपजिलाधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ से करायी गयी। उप जिलाधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ की आख्या के आधार पर श्री रामपाल पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम जैतीखेड़ा,परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ, उ0प्र0 को ग्राम जैतीखेड़ा, परगना काकोरी, तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ उ0प्र0 स्थित गाटा सं0 293सं रकबा 0.506 हे0 का 1/3 भाग रकबा 0.1686 हे0 भूमि प्रार्थी के पास है। प्रार्थी अनुसूचित जाति(पासी)का सदस्य हैं। प्रार्थी उपरोक्त ग्राम जैतीखेड़ा,परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ, उ0प्र0 को ग्राम जैतीखेड़ा, परगना काकोरी, तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ उ0प्र0 स्थित गाटा सं0 293सं रकबा 0.506 हे0 का 1/3 भाग रकबा 0.1686 हे0 भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति न्यूमरस कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 कार्यालय द्वितीय तल, एल्डिको कारपोरेट चैम्बर 1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ हस्ताक्षरी आशीष सिंह पुत्र श्री हरिबंश नारायन सिंह निवासी 116, नारायणपुर, सुल्तानपुर के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। विक्रय के पश्चात् विक्रेता के पास कोई भूमि शेष नहीं रह जायेगी।

1. विक्रीत भूमि के स्वत्व/कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है, संज्ञान में आता है तो, तत्क्रम में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी और आवेदक एवं क्रेता के विरूद्ध विधि के अनुरूप सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रश्नगत भूमि कहीं बंधक होगी या अन्य कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई भेद छिपा पाया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

2. उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-99 के प्रस्तर 8(ड) में उल्लिखित है कि जहाँ विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए अनुज्ञा की माँग की जा रही है, भूमि के अंतरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा, विक्रेता को मूल्य प्रति कार्यालय विलेख तथा अन्तरण शून्य माना जायेगा और तदनुसार उ0प्र0 राजस्व संहिता में दिये गये प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. विक्रय की जा रही भूमि यदि पट्टे द्वारा प्राप्त की गयी है और असंक्रमणीय श्रेणी संक्रमणीय श्रेणी में परिवर्तित हो चुकी है तो विक्रेता इस भूमि के विक्रय के उपरान्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा-76(ड) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नहीं रह जायेगा।

4. उक्त विक्रय अनुमति निर्गत तिथि से दो माह तक अनुमन्य होगी।

इस आदेश की प्रति श्री रामपाल पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम जैतीखेड़ा,परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ, उ0प्र0/तहसीलदार, सरोजनीनगर, लखनऊ/उपनिबंधक, तहसील सरोजनीनगर, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

(के0पी0 सिंह)

अपर जिलाधिकारी (नगर पूर्वी)/

अपर कलेक्टर, लखनऊ।

08.02.2022

आज दिनांक 08.02.2022 को खुले न्यायालय में उक्त आदेश हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

अपर जिलाधिकारी (नगर पूर्वी)/

अपर कलेक्टर, लखनऊ।

08.02.2022

फोटोग्राफ–विकीत सम्पत्ति

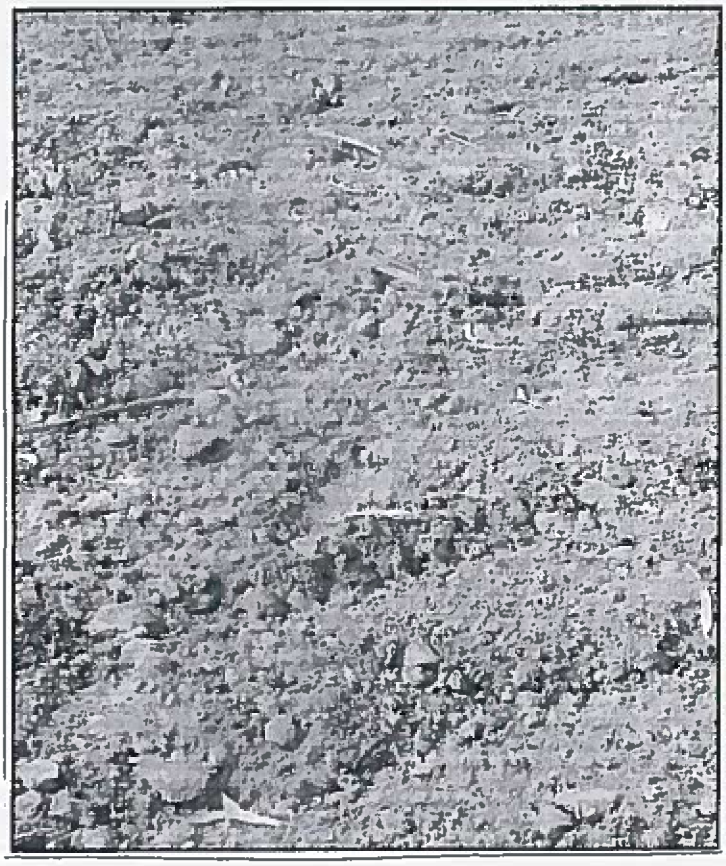

विक्रेता

क्रेता

NUMEROUS CONSTRUCTIONS PVT. LTD.

Authorized Signatory

मण्डल:- लखनऊ,जनपद:- लखनऊ
न्यायालय अपर जिलाधिकारी, नगर (पूर्वी)
वाद संख्या:- 127/2022
रामपाल बनाम सरकार
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202210460000127
अंतर्गत धारा:- 98(1),उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
आदेश तिथि:- 08/02/2022

अंतिम आदेश

श्री रामपाल पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम जैतीखेड़ा,परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ, उ0प्र0 अपनी बीमारी का इलाज कराने हेतु अपनी प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को विक्रय करने का अनुमति प्रार्थना पत्र उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-98 के अन्तर्गत आर0सी0 प्रपत्र-27 पर प्रस्तुत किया गया, जिसकी जाँच उपजिलाधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ से करायी गयी। उप जिलाधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ की आख्या के आधार पर श्री रामपाल पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम जैतीखेड़ा,परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ, उ0प्र0 को ग्राम जैतीखेड़ा, परगना काकोरी, तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ उ0प्र0 स्थित गाटा सं0 293सं रकबा 0.506 हे0 का 1/3 भाग रकबा 0.1686 हे0 भूमि प्रार्थी के पास है। प्रार्थी अनुसूचित जाति(पासी)का सदस्य हैं। प्रार्थी उपरोक्त ग्राम जैतीखेड़ा,परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ, उ0प्र0 को ग्राम जैतीखेड़ा, परगना काकोरी, तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ उ0प्र0 स्थित गाटा सं0 293सं रकबा 0.506 हे0 का 1/3 भाग रकबा 0.1686 हे0 भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति न्यूमरस कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 कार्यालय द्वितीय तल, एल्डिको कारपोरेट चैम्बर 1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ हस्ताक्षरी आशीष सिंह पुत्र श्री हरिबंश नारायन सिंह निवासी 116, नारायणपुर, सुल्तानपुर के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है। विक्रय के पश्चात् विक्रेता के पास कोई भूमि शेष नहीं रह जायेगी।

1. विक्रीत भूमि के स्वत्व/कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है, संज्ञान में आता है तो, तत्क्रम में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी और आवेदक एवं क्रेता के विरूद्ध विधि के अनुरूप सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रश्नगत भूमि कहीं बंधक होगी या अन्य कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई भेद छिपा पाया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

2. उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-99 के प्रस्तर 8(ड) में उल्लिखित है कि जहाँ विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए अनुज्ञा की माँग की जा रही है, भूमि के अंतरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा, विक्रेता को मूल्य प्रति कार्यालय विलेख तथा अन्तरण शून्य माना जायेगा और तद्नुसार उ0प्र0 राजस्व संहिता में दिये गये प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. विक्रय की जा रही भूमि यदि पट्टे द्वारा प्राप्त की गयी है और असंक्रमणीय श्रेणी संक्रमणीय श्रेणी में परिवर्तित हो चुकी है तो विक्रेता इस भूमि के विक्रय के उपरान्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा-76(ड) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नहीं रह जायेगा।